Online (2nd Phase) Special Counseling Extra 6th Round Schedule-2024 Engineering & Other Courses (Except Phamacy Course) (QUALIFIED Candidates of Uttar Pradesh and OTHER STATE)

S.N.	Counseling Activities	Date
1.	6th Round Choice Filling for QUALIFIED candidates of UP & Other state (unlimited choices may be filled)	05/09/2024 to 07/09/2024
2.	6th Round seat allotment	08/09/2024
3.	Online Fee Deposit for Seat Acceptance cum Counselling fee (only for Seat Alloted candidates).	09/09/2024 to 11/09/2024
4.	6th Round Document Verification at the district Help Centers (only for Seat Alloted candidates).	09/09/2024 to 11/09/2024 (up to 5:00 PM)
5.	6th Round Online Balance fee deposit for Government/Aided/PPP Polytechnic Institutes (only for Seat Alloted candidates).	09/09/2024 to 12/09/2024 (up to 11:59 PM Midnight)
6.	6th Round Admitted Seat Withdrawal	13/09/2024
	Commencement of classes for Session 2024-25	15/09/2024

- 1. काउन्सिलिंग के छठे चरण में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आई०डी० एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था / पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लागिन आई०डी० अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
- 2. काउन्सिलिंग के चौथे चरण वे अभ्यर्थी जो सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित नहीं करा पाये हैं अथवा वो अभ्यर्थी जिन्हें मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के पाँचवें चरण तक सीट आवंटित नहीं हो सकी है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष काउन्सिलिंग के पाँचवें चरण तक काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाये हैं वे छठे चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होगें।
- 3. काउन्सिलिंग का छठा चरण भी पूर्व चरणों की भांति आनलाइन होगा, जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के रूप में चिन्हित अभ्यर्थियों के साथ—साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रतिभाग कर सकेंगे।
- 4. छठे चरण में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट खतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यार्थियों को सीट एक्सेपटेन्स शुल्क रू० 3000/— एवं रू० 250/— काउन्सिलिंग शुल्क अर्थात कुल रू० 3250/— ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपवन्धिक एडिमशन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- 5. छठे चरण में निजी क्षेत्र की संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर सीट एक्सेपटेन्स शुल्क व काउन्सिलिंग शुल्क रू. 250/— पोर्टल पर जमा करना होगा, तदोपरान्त अभ्यर्थियों को सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर औपबन्धिक एडिमशन पत्र डाउनलोड करना होगा। अवशेष शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय—सारणी के अनुसार जमा करना होगा।
- 6. पब्लिक प्राईवेट पार्टनरिशप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपर्युक्त नियम लागू होंगे, जबिक निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भाँति शुल्क जमा करने हेतु उक्त निर्धारित नियम लागू होंगे।
- 7 अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग के छठे चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawal की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छठे चरण में सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, परन्तु निर्धारित

तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराया है, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी। तदनुसार Withdrawal विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंक खाते में आनलाइन

अन्तरित / रिफन्ड की जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया

जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

8. आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आनलाइन सीट Withdrawal के विकल्प का चयन कर सकेंगे। परिषद को प्राप्त सीट एक्सेपटेंस शुल्क की राशि परिषद द्वारा तथा अवशेष शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी की प्रवेशित संस्था के माध्यम से प्राप्त होगी।

9. काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी हेतु शासन/फीस एवं प्रवेश नियमन सिमिति, उ०प्र० द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने के प्रकरण संज्ञान में आने पर सिचव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० की संस्तुति पर सिचव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही

की जायेगी।

10. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, जाति, आय निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलंग के माध्यम से संस्था / पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थित में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी एवं ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

11. छठे चरण की काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य / निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एन0आई0सी0 के पोर्टल पर पी0आई0 (Participating Institute) रिर्पोटिंग दिनांक 14.09.2024 तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यार्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि

अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

12. छठे चरण की काउन्सिलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में अन्तिम तिथि 15.09.2024 तक अथवा इससे पूर्व अनिवार्य रूप में रिपोटिंग (उपस्थिति) दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. ऑनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—116/2023/आई/459155/2023—16—3099/12/2019 दिनांक 29.12.2023 की व्यवस्था के अनुपालन में ऑनलाइन काउन्सिलिंग का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।



31.8.2